

जांच के बाद ही जमीन, फ्लैट खरीदें

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार फ्लैट खरीदारों को ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। रैरा बिहार ने लोगों को जांच-पड़ताल के बाद ही जमीन या फ्लैट खरीदने की सलाह दी है। जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को रैरा बिहार से रूबरू शृंखला की शुरुआत सोमवार को दिल्ली से हुई। दिल्ली में बिहार के रहने वाले घर खरीदार और प्रमोटर दोनों ही बड़ी संख्या हैं।

कार्यक्रम में रैरा बिहार के अध्यक्ष विवेक सिंह ने बिहार में किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे घर खरीदने वालों से

- रैरा बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्बंधित परियोजना जांच लें
- दिल्ली में रैरा बिहार से रूबरू शृंखला में बोले अध्यक्ष विवेक सिंह

कोई भी निर्णय लेने से पहले विवरण की जांच करने का आग्रह किया। कहा कि आठ से अधिक फ्लैट या 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्षेत्र वाले किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को प्राधिकरण के साथ निर्बंधित होना चाहिए। घर खरीदने वाले रैरा बिहार की वेबसाइट **rera.bihar.gov.in** पर निर्बंधित परियोजना का विवरण देख सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। रैरा बिहार के पूर्व अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि

पिछले नौ महीनों में रैरा बिहार में किए गए सकारात्मक बदलाव प्रशंसनीय हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रैरा बिहार में दायर अधिकतर शिकायत मामले अधिनियम लागू होने के पूर्व की परियोजनाओं के हैं। बिहार के स्थानिक आयुक्त कुंदन कुमार ने कहा कि रैरा बिहार की ओर से शुरू की गई प्रमोटरों और परियोजनाओं की रैंकिंग प्रणाली प्रमोटरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू करने में मदद करेगी। यह घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद होगी।

मौके पर प्रमोटरों को रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई। घर खरीदने वालों के लिए एक अलग प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्हें उन बिंदुओं के बारे में बताया गया, जिन पर किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें रैरा अधिनियम के बारे में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया। मौके पर रैरा बिहार 2025 के कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। रैरा बिहार की ओर से बनाई गई दो लघु फिल्मों भी दिखाई गईं।

वाहन जांच के दौरान खूद

कार्यालय प्राचार्य, सोहन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा
निकट विकास भवन, पाण्डेखोला, अल्मोड़ा, जिला - अल्मोड़ा - 263601 (उत्तराखण्ड)
ई-मेल : principal.gmcalmora@gmail.com http://www.ssgimsmalmora.org